



FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)

जी.सी.एम.एच.नं.

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत 'उपखण्ड' अधिकारी मुकाम नीमकाथान
 लक्ष्मण को. वनाम अजय कुमार को.
 म मुकदमा 'प्राचीन पत्र' 212 नम्बर 746/2023 वर्ष

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12 16/24	<p>पत्रावली प्राचीन पत्र व वकील प्राचीन की ओर से प्राचीन पत्र मिला तलबी के साथ अपत्र अन्वय विवेधाना विद्वा किन्ने जाने का प्राचीन पत्र पत्र होने पर पत्रावली अजय तलबी की ओर प्राचीन पत्र पर प्राचीन व वकील प्राचीन ने विवेदन किन्ने कि लोग अदालत की मावना से प्रेरित होकर एक उम्ह प्रवरण आगे गरीपलाता चाहते है हमारा प्रवरण विद्वा कर खारीज किन्ने पावे। प्राचीन पत्र व पत्रावली का मयलोम किन्ने गण। प्राचीन व वकील प्राचीन के विवेदन पर प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्वय विवेधाना विद्वा की अनुमति के साथ खारिज किन्ने जाता है। प्राचीन के हाताश्र अन्वयिका पर करवाये गये, जिसकी पहचान वकील प्राचीन ने की है। पत्रावली मिला शुभ लोम नम्बर है मय लोम उम्ह साखिल है।</p> <p style="text-align: center;">  (मुकेश चावरा) उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना </p>	<p>लक्ष्मण राजेश आर.के.  रंजना पहिचान फर्द X (राजेश कुमार जीवाम) एडवोकेट नीमकाथान R/334/2006</p>